ला. सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या (फैजाबाद)

छात्रसंघ चुनाव नियमावली

उत्तर प्रदेश के शासनादेश सं.-सी.एम. 08/सत्तर-1-2012 दिनांक 21 मार्च, 2012 विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रसंघों के चुनाव लिंगदोह समिति की संस्तुतियों के आधार पर कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

उपर्युक्त शासनादेश में लिंगदोह कमेटी की मुख्य संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए छात्रसंघ चुनाव कराये जाने का निर्णय प्रेषित किया गया है-

1. छात्रसंघ का चुनाव यथासम्भव छात्रों द्वारा वोट के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से कराया जायेगा।
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नामित छात्र ही चुनाव प्रक्रिया में भाग लेगा।
3. चुनाव प्रक्रिया नामांकन की तिथि से 10 दिनों में पूर्ण कर ली जायेगी।
4. प्रतिवर्ष चुनाव शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि से अधिकतम 8 सप्ताह में सम्पन्न करा लिया जाए।
5. (अ) स्नातक पर अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 22 वर्ष प्रक्रिया प्रारम्भ होने के समय होना चाहिए।

   (ब) परास्नातक/विधि एवं बी.एड्. छात्रों के लिए चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए।

   (स) स्नातक स्तर पर दिनांक 30 जून, 1990 तथा परास्नातक स्तर पर अभ्यर्थी की जन्मतिथि दिनांक 30 जून, 1987 के बाद की होनी चाहिए।
6. प्रत्याशी के विरुद्ध किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा न चला हो अथवा उसे किसी आपराधिक मामले में सजा न सुनाई गयी हो।
7. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न की गयी हो।
8. प्रत्याशी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का पूर्णकालिक छात्र होना चाहिए।
9. प्रत्याशी द्वारा चुनाव के लिए अधिकतम रु. 5,000/- व्यय किये जाने की अनुमति होगी।
10. प्रत्याशी द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने अथवा व्यय की अधिकतम सीमा का उल्लंघन किये जाने पर उसका चुनाव निरस्त किया जा सकेगा।
11. प्रत्याशी द्वारा जाति/समुदाय एवं धार्मिक आधार पर तनाव उत्पन्न करने वाला कोई कार्य नहीं किया जायेगा।

12. प्रत्याशी को मुद्रित पोस्टर, मुद्रित पैम्फलेट अथवा अन्य कोई मुद्रित सामग्री अपने प्रचार के लिए प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी, वह केवल हस्तनिर्मित पोस्टर का प्रयोग कर सकेगा।

13. प्रत्याशी को चुनाव के लिए नियुक्त अधिकारियों के साथ सम्मानजनक सहयोग करना होगा।

उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर मुख्य चुनाव अधिकारी को अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार होगा।

महाविद्यालय छात्रसंघ चुनाव नियमावली वर्तमान सत्र में निम्नवत् रूप में प्रभावी होगी। इस नियमावली के सभी प्राविधान/छात्रसंघ चुनाव सम्बन्धी सभी प्रकरणों, व्यक्तियों पर लागू होगे। इसमें समय-समय पर शासनादेश/विश्वविद्यालय आदेश आदि का समावेश किया जायेगा।

धारा-1 प्राचार्य छात्रसंघ के पदेन संरक्षक एवं नीति नियन्ता होगे।

धारा-2 प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय का एक प्राध्यापक छात्रसंघ निदेशक के रूप में नामित किया जायेगा। छात्रसंघ निदेशक छात्रसंघ की गतिविधियों, नीतियों, निर्णयों के सन्दर्भों में प्राचार्य के प्रति उत्तरदायी होगा तथा समय-समय पर प्राचार्य को आवश्यकतानुसार सलाह देगा।

धारा-3 **चुनाव याचिका ट्रिब्यूनल** : प्राचार्य द्वारा नामित तीन सदस्यीय ट्रिब्यूनल होगा जो चुनाव सम्बन्धी किसी प्रकार की शिकायत पर अपनी संस्तुति प्राचार्य को देगा जिस पर प्राचार्य अन्तिम निर्णय देगें।

धारा-4 **छात्रसंघ** - महाविद्यालय छात्रसंघ का गठन निम्नवत होगा

(अ) **सामान्य सभा** : महाविद्यालय छात्रसंघ की एक सामान्य सभा होगी जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, पुस्तकालय मंत्री, संकाय एवं छात्रावास प्रतिनिधि, छात्र/छात्रायें, अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्रायें, मेधावी छात्र तथा खिलाड़ी छात्र/छात्रा का प्रतिनिधित्व होगा।

(ब) (1) महाविद्यालय छात्रसंघ सामान्य सभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, पुस्तकालय मंत्री सहित पांच संकाय प्रतिनिधि, छात्रावास प्रतिनिधि, पाँच छात्रायें, पाँच अनुसूचित जाति/ जनजाति छात्र/छात्रायें, पाँच मेधावी तथा एक खिलाड़ी छात्र/छात्रा अर्थात् कुल 26 सदस्य होगें।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पुस्तकालय मंत्री, महामंत्री तथा संकाय प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे मतदान द्वारा किया जायेगा। पाँच छात्रायें, पाँच अनुसूचित जाति/जनजति के छात्र/छात्रायें, पाँच मेधावी छात्र तथा

एक खिलाड़ी छात्र/छात्रा प्राचार्य द्वारा नामित किए जायेंगे। यह मनोनयन चुनाव के बाद ही किया जायेगा। इस वर्ष ये सभी विभिन्न संकायों के स्नातक द्वितीय वर्ष से होगें तथा एक खिलाड़ी छात्र/छात्रा विगत सत्र का सर्वोत्तम खिलाड़ी होगा। यह व्यवस्था आने वाले समय में चक्रानुक्रम से होगी अर्थात् अगले वर्षों में क्रमशः तृतीय, एम0ए0/एम0एस-सी प्रथम तथा द्वितीय वर्ष तक चलेगी। विधि में यह तीन चक्र अर्थात् प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तक तथा बी0एड्0 में प्रत्येक वर्ष से नामित किया जायेगा।

धारा-5 **छात्रसंघ चुनाव :** प्राचार्य द्वारा एक चुनाव अभिकरण घोषित किया जायेगा। जिसमें एक चुनाव अधिकारी और आवश्यकतानुसार तीन या अधिक सहायक चुनाव अधिकारी होगें। महाविद्यालय के मुख्य नियन्ता एवं छात्रसंघ निदेशक इस अभिकरण के पदेन सदस्य होगे। चुनाव अभिकरण चुनाव का संचालन एवं निर्देशन करेगा।

धारा-6 **मताधिकार :** ऐसे सभी छात्र/छात्रायें जिन्होंने महाविद्यालय द्वारा घोषित तिथि तक प्रवेश प्राप्त कर लिया है तथा महाविद्यालय प्रशासन/प्राचार्य द्वारा किन्हीं आरोपों में दण्डित नहीं किये गये है, मतदान के अधिकारी होगे। परन्तु मतदाता सूची के प्रकाशन के पश्चात भी यदि किसी छात्र/छात्रा को महाविद्यालय प्रशासन या प्राचार्य दण्डित करते है तो उसका मताधिकार निरस्त किया जा सकता है।

धारा-7 **प्रत्याशियों के लिए अर्हता :**

1. महाविद्यालय का छात्र/छात्रा जिसे मताधिकार प्राप्त है।
2. महाविद्यालय प्रशासन/प्राचार्य द्वारा किसी आरोप में दण्डित छात्र/छात्रा प्रत्याशी नहीं बन सकता।
3. नामांकन के पश्चात् भी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन या किसी अन्य आरोप में दण्डित प्रत्याशी का नामांकन निरस्त किया जा सकता है।
4. न्यूनतम आयु 17 से 22 वर्ष स्नातक हेतु स्नातकोत्तर, विधि एवं बी.एड्. हेतु 25 वर्ष होगी।

धारा-8 (1) नामांकन प्रपत्र निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर उम्मीदवार अथवा उसका प्रस्तावक या अनुमोदक 500/- रूपये प्रतिभूति के साथ चुनाव अधिकारी के पास जमा करेगा। नामांकन पत्र जमा करने के

समय प्रत्याशी, प्रस्तावक, अनुमोदक का परिचय-पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।

(2) नामांकन प्रपत्र का मूल्य 100/- रूपये प्रति प्रपत्र है। नामांकन प्रपत्र चुनाव अधिकारी द्वारा घोषित तिथि तथा समय तक प्राप्त कर लेना चाहिए।

(3) छात्रसंघ के पदाधिकारियों के लिए कोई विद्यार्थी जिसका नाम प्रकाशित मतदाता सूची में है, प्रस्तावक/अनुमोदक हो सकता है।

(4) जिस पद के लिए कोई विद्यार्थी स्वयं उम्मीदवार है उसी पद हेतु किसी दूसरे उम्मीदवार का प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं हो सकता है।

(5) कोई विद्यार्थी जो किसी पद के लिए किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक या अनुमोदक है उसी पद के लिए किसी दूसरे उम्मीदवार का प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं हो सकता है।

(6) कोई अभ्यर्थी एक ही पद के लिए एक से अधिक नामांकन पत्र जमा कर सकता है किन्तु उस दशा में उसे नामांकन पत्रों की संख्या के हिसाब से प्रतिभूति भी जमा करनी होगी।

(7) प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशी, प्रस्तावक एवं अनुमोदक का नोड्यूज (पिछली कक्षा का) प्रमाण-पत्र जमा किया जाना अनिवार्य होगा तथा नामकंन कराते समय उसे निर्धारित प्रारूप पर नोटरी शपथ पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा।

(8) प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार एक लिखित घोषणा द्वारा स्वयं को अथवा किसी वैध मताधिकार प्राप्त छात्र/छात्रा को चुनाव एजेण्ट नियुक्त करेगा।

(9) किसी एक ही पद के लिए एक से अधिक प्रत्याशियों का नाम समान होने की दशा में समान नाम वाले प्रत्याशियों की कक्षा और उनका महाविद्यालय अनुक्रमांक भी मतपत्र पर मुद्रित किया जायेगा।

नामांकन पत्रों की जाँच :

धारा-9 (1) प्रत्येक विद्यार्थी का कालेज का अनुक्रमांक ही निर्वाचकीय अनुक्रमांक होगा।

(2) नामांकन पत्रों के जमा हो जाने पर चुनाव अधिकारी उम्मीदवार के नाम प्रस्तावक और अनुमोदक के नाम और अनुक्रमांक तथा पद के नाम की निर्धारित तिथि और समय पर जाँच करेंगे।

(3) नामांकन पत्र नियमानुकूल न होने पर अथवा उम्मीदवार का प्रस्तावक या अनुमोदक का हस्ताक्षर सही न होने पर अथवा निर्वाचकीय अनुक्रमांक सही न होने पर अथवा पूर्तियों की अस्पष्टता अथवा किसी स्तम्भ की पूर्ति न होने पर अथवा नोड्यूज प्रमाण-पत्र न जमा करने पर उचित जाँच के बाद चुनाव अधिकारी ऐसे नामांकन पत्र को अवैध घोषित कर सकते है।

(4) मुख्य चुनाव अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर अपना निर्णय अंकित करेंगे और अवैध होने पर उसका कारण भी अंकित करेंगे। सम्बन्धित उम्मीदवार को चुनाव अधिकारी नामांकन पत्र अवैध होने के कारण पूछने पर बता देगे।

नाम वापसी :

धारा-10 कोई भी उम्मीदवार निर्धारित समय, तिथि और स्थान पर निर्धारित प्रपत्र द्वारा किसी भी उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले सकता है।इसके लिए उम्मीदवार को स्वयं मुख्य चुनाव अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर निर्धारित प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। नाम वापसी की अवधि समाप्त होने के पश्चात् मुख्य चुनाव अधिकारी प्रत्येक पद के लिए वैध प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित करेंगे।

(1) प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग मतदान होगा और अलग-अलग मतपत्र भी होगें। प्रत्येक मतदाता को चार मतपत्र एक अध्यक्ष पद के लिए, एक उपाध्यक्ष पद के लिए और एक महामंत्री पद के लिए, एक उपमंत्री पद हेतु दिये जायेगें जो उस पद से सम्बन्धित मतपेटिका में डालना होगा। गलत मतपेटिका में डालने से ऐसा मतपत्र अवैध माना जायेगा। प्रत्येक मतपेटिका पर पद का नाम अंकित रहेगा।

(2) मतपत्र पर प्रत्याशी का नाम हिन्दी वर्णमाला क्रम में छपा रहेगा। जिस प्रत्याशी को मतदाता अपना वोट देना चाहे, उसके नाम के सामने वाले स्थान में सही (✓) का निशान लगाकर उसे वोट देगा।

(3) मतपत्र पर डाटपेन से निर्धारित स्थान पर सही (✓) का निशान बनाकर मतदान करना होगा।

(4) प्रत्येक मतदाता अपने साथ मत देने के लिए अपनी डाट पेन लायेगा।

(5) प्रत्येक मतदाता, प्रत्याशी अथवा अभिकर्त्ता को अपने साथ

परिचय पत्र लाना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे चुनाव के दिन महाविद्यालय परिसर में प्रवेश और मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(6) यदि कोई मतदात मतपत्र पर प्रत्याशी को सही के निशान से वोट देने के अतिरिक्त कोई और चिन्ह बनाता है अथवा लिखता है अथवा एक से अधिक प्रत्याशियों को मत देता है अथवा मतपत्र पर उसके साथ कोई वस्तु चिपकाता है अथवा जोड़ देता है तो वह मतपत्र अवैध माना जायेगा।

प्रतिभूति वापसी :

धारा-11 नामांकन के समय जमा की गई प्रतिभूति की वापसी चुनाव के समाप्त हो जाने के पश्चात् एक माह के अन्दर की जायेगी। प्रतिभूति वापसी के लिए नामांकन पत्र की प्रतिभूति स्लिप प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि किसी उम्मीदवार को उसके निर्वाचन क्षेत्र में डाले गये समस्त वैध मतों के 25 प्रतिशत से कम मत प्राप्त होते है तो उसकी प्रतिभूति की धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

(1) मतगणना के समय मतगणना के स्थान पर प्रत्याशी अथवा उसके एजेण्ट में से कोई एक ही उपस्थित रह सकता है।

(2) मतगणना/चुनाव सम्बन्धी कोई भी शिकायत चुनाव परिणाम की घोषणा के पहले प्रत्याशी अथवा उसके अभिकर्त्ता द्वारा मुख्य चुनाव अधिकारी से लिखित रूप से शिकायत के कारणों सहित की जानी चाहिए, ऐसी शिकायतों पर मुख्य चुनाव अधिकारी अपना निर्णय परिणाम की घोषणा के पहले दे देगें।

(3) मतगणना के पश्चात् मुख्य चुनाव अधिकारी चुनाव परिणाम की घोषणा करेंगे।

(4) चुनाव परिणाम से व्यथित कोई भी प्रत्याशी कारण सहित चुनाव यचिका एक सप्ताह के भीतर प्राचार्य को प्रस्तुत करेगा, जिस पर प्राचार्य द्वारा नामित ट्रिब्यूनल विचार करके अपनी संस्तुति प्राचार्य को देगा जिस पर प्राचार्य अन्तिम निर्णय लेंगे।

प्रत्याशियों के लिए निर्धारित कार्यकाल :

इस प्रक्रिया द्वारा छात्रसंघ का गठन एक सत्र अर्थात् 30 जून 2013 तक के लिए होगा।

आचार संहिता :

धारा-12 प्रत्येक प्रत्याशी का चुनाव काल में आचार संहिता का पालन करना

अनिवार्य है।

(1) चुनाव के सम्पादन हेतु विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा घोषित मानकों का पालन चुनाव प्राचार एवं मतदान की तिथि के समय कठोरता से किया जायेगा।

(2) छात्रसंघ के चुनाव में लिंगदोह समिति की सिफारिशों का पूर्णतः पालन करना होगा।

(3) चुनाव प्रचार एवं चुनाव संबंधित मुद्रित सामग्री में किसी राजनैतिक दल की प्रतिबद्धता एवं सम्बद्धता व्यक्त नहीं की जा सकेगी।

(4) चुनाव प्रचार के लिए शिक्षण संस्था के प्रांगण एवं उसके बाहर दीवारों पर लिखना पूर्णरूप से वर्जित होगा।

(5) किसी संस्था अथवा अन्य एजेंसी द्वारा लगाये गये होर्डिंग को न तो रंगा जायेगा और न मत प्राप्त करने के लिए उस पर लिखा जायेगा।

(6) चुनाव प्रचार कक्षाओं के लगने के समय नहीं किया जायेगा।

(7) चुनाव प्रचार का जुलूस संस्था के प्रांगण के बाहर नहीं निकाला जायेगा।

(8) केवल एक जुलूस एक प्रत्याशी द्वारा पूरे चुनाव के समय में एक बार निकाला जा सकेगा। इसकी अनुमति प्रॉक्टर/मुख्य चुनाव अधिकारी/प्राचार्य से प्राप्त करनी होगी।

(9) प्रचार एवं मतदान के दिन किसी हथियार एवं वाहन का प्रयोग प्रत्याशी एवं उसके समर्थक प्रचारक द्वारा नहीं किया जायेगा।

(10) प्रत्याशी एवं उसके समर्थक कक्षा में घुसकर प्रचार नहीं कर सकेंगे, न ही कक्षा की शान्ति को भंग कर सकेंगे।

(11) प्रत्याशी एवं उसके समर्थक संस्था के प्रांगण एवं उसके बाहर लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।

(12) पुरूष प्रत्याशी महिला छात्रावास में प्रचार के लिए नहीं जा सकेंगे।

(13) प्रत्याशी एवं उसके समर्थक कक्षाओं के बाद एवं इण्टरवल के समय प्रचार कर सकेंगे।

(14) कोई भी प्रत्याशी अथवा समर्थक ऐसे नारे नहीं लगायेगा या प्रचार सामग्री नहीं बाटेगा जिससे सम्प्रदायवाद, जातिवाद या क्षेत्रवाद की भावना उभरे या किसी प्रत्याशी/उसके समर्थक का चरित्र हनन हो।

(15) प्रत्याशी प्राचार्य एवं चीफ प्रॉक्टर की अनुमति से संस्था प्रागण

में कक्षाओं के बाद मीटिंग कर सकेंगे। लेकिन इसमें बाहर के व्यक्ति को नहीं बुला सकेंगे।

(16) प्रत्याशी को अपनी क्षमता एवं योग्यता व्यक्त करने के लिए भाषण देने का अवसर संस्था द्वारा प्रदान किया जायेगा, जहाँ चीफ प्रॉक्टर तथा मुख्य चुनाव अधिकारी भी मौजूद होंगे। यह अवसर केवल एक बार पूरे प्रचार समय में दिया जायेगा। विषय तथा समय सीमा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगा।

(17) चुनाव के बाद मतों की गिनती के समय एक काउन्टर पर एक प्रत्याशी का केवल एक प्रतिनिधि की उपस्थिति की इजाजत होगी।

(18) सभी प्रत्याशियों को एक शपथ पत्र भरना होगा कि यदि इस आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें चुनाव से वंचित किया जा सकता है।

(19) चुनाव प्रचार में प्रयुक्त धन की सीमा रु. 5 हजार तक होगी। प्रत्याशी एवं उसके समर्थक किसी भी व्यक्ति, संस्था एवं एजेंसी से चुनाव कोष के लिए धन एकतित्र नहीं कर सकेंगे। चुनाव के बाद उन्हें अपने खर्च का विवरण देना होगा। यदि इसका उल्लघंन पाया गया तो उसका चुनाव रद्द कर दिया जायेगा।

(20) छात्रसंघ का खर्च उसके निर्धारित कोष से अधिक नहीं होगा।

(21) छात्रसंघ को अपना बजट संघ की कार्यकारिणी परिषद द्वारा पारित कराना होगा।

(22) यदि चुनाव प्रत्याशी अनुशासन हीनता एवं 'ग्रॉस मिसकन्डक्ट' का दोषी पाया जाता है तो संस्था के उसके चुनाव को रद्द करने का अधिकार होगा।

==========